न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 18/382

1. किशोरी लाल
2. छोटू लाल पुत्र श्री मथुरा लाल जाति मीणा निवासी ग्राम झालीजी का बराना तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती ललिता बाई पुत्री श्री हजारी लाल पत्नी श्री भगवान दास जाति माहेश्वरी (महाजन) निवासी झालीजी का बराना हाल निवासी ग्राम बडौद तहसील व जिला श्योपुरकला (म0 प्र0)
2. उप पंजीयक महोदय, कापरेन जिला बून्दी ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार के0 पाटन जिला बून्दी ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री योगेश सोरल, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री रविन्द्र खण्डेलवाल, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 26.11.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, के0 पाटन जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.11.2015 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 एवं 89 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत किया जिसके साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश कर निवेदन किया कि ग्राम झालीजी का बराना तहसील के0 पाटन में आराँजी खसरा नम्बर 2885 रकबा 2.04 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि वर्तमान में प्रार्थीगण के खाते में दर्ज है जिस पर प्रार्थीगण काबिज होकर कृषि करते चले आ रहे हैं । उक्त भूमि सन् 1971 से ही प्रार्थीगण के निरन्तर कब्जे काश्त में चली आ रही है । उक्त भूमि पर प्रार्थीगण कानूनन एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदार बन चुके हैं । उक्त भूमि पर अप्रार्थीगण का पिछले 45 वर्षों से कभी भी कब्जा नहीं रहा है । अप्रार्थी कम 1 न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्णय का

बहाना लेकर राजस्व कर्मचारियों से मिलकर उक्त भूमि को बेचान करने, रिकॉर्ड में परिवर्तन करने पर आमादा है । यदि दौराने बाद अप्रार्थीगण अपने कृत्य में सफल हो गये तो प्रार्थी का वाद प्रस्तुत करना ही व्यर्थ हो जावेगा । प्रथमदृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में है तथा सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति होने की संभावना भी प्रार्थीगण के पक्ष में है ।

3. अतः दौराने वाद इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा पारित की जावे कि अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी के रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें ।

4. अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र मय काउन्टर क्लेम पेश किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 19.11.2015 के द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना खारिज कर दिया व काउन्टर क्लेम स्वीकार किया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 19.11.2015 से व्यथित होकर प्रार्थीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थीगण सन् 1971 से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं । उक्त आराजी अप्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट का पिछले 45 वर्षो से कब्जा काश्त नहीं रहा है । अधीनस्थ न्यायालय ने केवलमात्र न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.07.2012 को आधार बनाकर उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित करने में विधिक त्रुटि की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.11.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. प्रार्थी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का पेश कर उक्त प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने का निवेदन किया ।

9. हमने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अपीलान्ट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ जो दस्तावेजात संलग्न किये हैं उसमें न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, के0 पाटन द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.04.2010 की प्रमाणित प्रति हैं । उक्त दस्तावेज निर्णय की प्रमाणित प्रतियॉ हैं जिनकी विश्वसनीयता पर संदेह नहीं किया जा सकता । अतः न्यायहित में प्रार्थी अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी स्वीकार किया जाकर उक्त दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

10. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा पारित निर्णय 09.07.2012 से निर्णय दिनांक 30.04.2010 को अपास्त करने के आधार पर प्रार्थना पत्र निरस्त किया है जो त्रुटिपूर्ण है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में प्रथमदृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय

क्षति जैस महत्वपूर्ण तथ्यों की उपेक्षा की है । अपीलान्ट का प्रकरण प्रथमदृष्टया प्रमाणित था । वर्ष 1971 से निरन्तर रूप से वादग्रस्त आराजी पर कब्जा अपीलान्ट का प्रमाणित है । वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेन्ट के खाते में दर्ज होने के आधार पर सुविधा का संतुलन अपीलान्ट के पक्ष में न मानकर त्रुटि की है । इस प्रकार अपूर्णीय क्षति भी अपीलान्ट के पक्ष में है न कि रेस्पोडेन्ट के पक्ष में है । अपीलान्ट अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं वादग्रस्त आराजी उनकी आजीविका का एकमात्र साधन है । यदि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की आड में वादग्रस्त आराजी से अपीलान्ट को बेदखल कर दिया गया तो अपीलान्ट को अनेक कठिनाईयों का सामना करना पडेगा । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.11.2015 निरस्त फरमाया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे । उन्होंने अपने कथनों की पुष्टि में डीएनजे 2018 (3) (राज0) पेज 1271, आरआरडी 1996 पेज 90, एआईआर 1977 पेज 196 उद्धरत की ।

11. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट वादग्रस्त आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार कृषक हैं । अपीलान्ट ने प्रतिकूल कब्जे के आधार पर हक, घोषणा का दावा पेश किया है जो मेन्टेनेबल नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज किया है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । निर्णय दिनांक 19.11.2015 में प्रथमदृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति तीनों बिन्दुओं पर विवेचन किया है । धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रार्थना पत्र में पारित निर्णय के खिलाफ अपील में रिमाण्ड के निर्देश नहीं दिये जा सकते । रेस्पोडेन्ट वादग्रस्त आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार हैं । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.11.2015 बहाल रखा जावे ।

12. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में नकल जमाबन्दी सवंत् 2068 से 2071 की फोटो प्रति संलग्न है जिसके अनुसार वादग्रस्त आराजी अपीलान्ट के खाते में दर्ज है ।

13. अपील की पत्रावली में न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.07.2012 की प्रति संलग्न है जिसके अनुसार अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.04.2010 निरस्त किया गया है और प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) किया गया है । माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13 मई, 2015 की फोटो प्रति संलग्न है जिसके अनुसार अपीलान्ट किशोरी लाल की अपील खारिज की गई है । पत्रावली पर फोटो नकल जामबन्दी संवत् 2068 से 2071 संलग्न है जिसके अनुसार वादग्रस्त आराजी अपीलान्टगण के खाते में दर्ज है इस पर नामान्तरकरण संख्या 1616 दिनांक 20.10.2015 अंकित है जिसके अनुसार वादग्रस्त आराजी भूमि रेस्पोडेन्टगण के नाम खातेदारी में पुनः दर्ज की गई है । न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.09.2016 की फोटो प्रति संलग्न है जिसके अनुसार न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा पारित स्थगन आदेश दिनांक 02.12.2015 के खिलाफ पेश की गई निगरानी में प्रकरण को उपखण्ड अधिकारी, के0 पाटन को रिमाण्ड किये जाने और दोनों पक्षकारों द्वारा मौके एवं रिकॉर्ड की यथा स्थिति बनाये रखने के आदेश पारित किये हैं और माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 09.03.2017 की प्रति भी संलग्न है जिसके अनुसार दिनांक 30.09.2016 के आदेश में संशोधन

किया जाकर इस न्यायालय के आदेश दिनांक 02.12.2015 को निरस्त कर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु इस न्यायालय को रिमाण्ड किया गया है और दिनांक 30.09.2016 के आदेश के शेष भाग को यथावत रखा गया है ।

14. पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात के अनुसार अपीलान्टगण के द्वारा एक दावा हक, घोषणा का अधीनस्थ न्यायालय में वादग्रस्त आराजी के बाबत् पेश किया गया था जिसको अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.04.2010 के द्वारा डिक्री किया गया था । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.04.2010 की अपील इस न्यायालय में पेश होने पर इस न्यायालय के द्वारा अपने निर्णय दिनांक 09.07.2012 से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अपास्त कर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया है और इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.07.2012 के खिलाफ पेश की गई अपील भी माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा दिनांक 13 मई, 2015 को खारिज की जा चुकी है और वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेन्टगण के खातेदारी में दर्ज की जा चुकी है ।

15. अपीलान्ट वादग्रस्त आराजी पर सन् 1971 से निरन्तर अपना कब्जा बता रहे हैं परन्तु अपने इस कब्जे के समर्थन में उनके द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की है । उनके द्वारा दावा प्रतिकूल कब्जे के आधार पर हक एवं घोषणा का पेश किया है । माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर की फुल बैंच एवं माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार कृषि भूमि पर प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते । रेस्पोडेन्ट वादग्रस्त आराजी के खातेदार कृषक हैं । अपीलान्ट वादग्रस्त आराजी पर सन् 1971 से अपना कब्जा बताते है। परन्तु अपने कब्जे के समर्थन में उस समय की खसरा गिरदावरी भी पेश नहीं की है । जब खसरा गिरदावरी में कब्जेधारी का नाम भी अंकित किया जाता था ।

16. इन तथ्यों के आधार पर प्रथमदृष्टया प्ररकण अपीलान्ट के पक्ष में नहीं वरन् रेस्पोडेन्ट के पक्ष में तय पाया जाता है । सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दु भी रेस्पोडेन्ट के पक्ष में पाया जाता है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज कर रेस्पोडेन्ट का काउन्टर प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

17. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.11.2015 बहाल रखा जाता है ।

18. निर्णय आज दिनांक 26.112018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

26.11.18

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा